(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 534-I/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–01–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2010–11

डॉ0मुईन शाह पुत्र अफरोज शाह,
निवासी वार्ड नम्बर 7 तलैया सिरोंज,
जिला विदिशा म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–छोगीलाल पुत्र श्री दंगल सिंह ब्राहम्ण
निवासी ग्राम संतोषपुर तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा म0प्र0
2–फरीदा बेगम पुत्र स्व0श्री अहमदी बेगम
निवासी तेलियों की गली, छोटा तख्ता,
अमीरगंज, टोंक राजस्थान

..............अनावेदकगण

....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक आवेदक
अनावेदक – एकपक्षीय

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 21/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 08–01–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार सिरोंज के न्यायालय में फरीदा बेगम के स्वामित्व की भूमि का हिबा अनुसार नामान्तरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा नामान्तरण का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये हिबा अनुसार नामान्तरण आवेदक के पक्ष में कर दिया । तहसीलदार सिरोंज के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 छोगीलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–10 से अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार का नामान्तरण आदेश निरस्त कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2010 व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–01–2014 से द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–14 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह आधार लिया कि तहसीलदार न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत हिबा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 18–8–08 से नामान्तरण किया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जबकि अनावेदक कमांक विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विधि अनुसार अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रकरण संहिता की धारा 35(2) के अंतर्गत अदम पैरवी में प्रकरण खारिज करना चाहिये, के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि के विरूद्ध अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सुमोटो अधिकार का उपयोग किया है, जो उन्हें प्राप्त ही नहीं है, के बावजूद भी ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि की है । तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा निगरानीकर्ता को मौखिक हिबा द्वारा विवादित कृषि भूमि को हिबा की गई है, जो स्वतंत्र गवाहों एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण

अधिनियम के अन्तर्गत 100/– रुपये मूल्य से अधिक की सम्पत्ति का पंजीयन होना आवश्यक है जबकि मुस्लिम विधि अनुसार सम्पत्ति धारक द्वारा मौखिक हिबा किये जाने एवं हिबाग्राहिता द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर वह पूर्ण हो जाता है । ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालयों के विचाराधीन आदेश निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया।

4– प्रकरण में अनावेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में सभी तथ्यों / विधि की आवश्यकताओं का विस्तार से विश्लेषण किया है जिसमें उन्होंने यह पाया है कि प्रकरण में हिबा की शर्ते पूर्ण नहीं होती हैं । यह भी पाया है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुने बिना आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश में इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्षो को सही पाया है । इन निष्कर्षो के विरोध में आवेदक द्वारा कोई भी तर्क/तथ्य/साक्ष्य अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

6– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–10–2010 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 08–01–2014 विधिवत् होने से इनकी पुष्टि की जाती है तथा निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.